


20.12.2024:—पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थी ने अपना मूल वादपत्र विद्धा कर लिया है। मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 4.12.2024 को वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाती है। पत्रावली, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।


सहायक क्लर्क
एवं अप्पेडाधिकारी
हनुमानगढ़

